# राजस्थान सरकार
# परिवहन विभाग
## परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(24) परि/कम्प्यूटर/2012/7772 जयपुर,दिनांकः 2।/4/16

**कार्यालय आदेश संख्या 15/2016**

**विषयः दिनांक 12.072012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP स्थापित करने हेतु अधिकृत सेवा प्रदाता को डेटा उपलब्ध करवाने बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 12.07.2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाई जानी है। इस संबंध में सेवा प्रदाता M/s Real Mazon Rajasthan Private Limited को ऐसे वाहनों का डेटा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है ताकि सेवा प्रदाता द्वारा HSRP लगाये जाने वाले वाहन से संबंधित विवरण का सत्यापन किया जा सके। सेवा प्रदाता को विभिन्न परिवहन कार्यालयों में दिनांक 12.07.2012 से पूर्व पंजीकृत एवं "वाहन" सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में उपलब्ध ऐसे वाहनों की सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डेटा फाईल तैयार किये जाने के लिए विभागीय सॉफ्टवेयर "vahansum" में "Extract old Registration Data for HSRP vendor" का नवीन विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। सॉफ्टवेयर का संशोधित वर्जन आपके कार्यालय की ई–मेल आईडी पर भी प्रेषित कर दिया गया है।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के नवीन प्रावधान का उपयोग करते हुए डेटा फाईल तैयार कर HSRP सेवा प्रदाता को ई–मेल आईडी vahandata@realmazon.com पर अविलंब उपलब्ध करवाया जावे एवं ई–मेल की प्रति transport.it@rajasthan.gov.in पर भेजा जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के संबंध में तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के सिस्टम एनालिस्ट से संपर्क किया जा सकता है।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

**(पवन कुमार गोयल)**
**परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव**

क्रमांकः एफ 25 (24) परि/कम्प्यू./2012/7773–77 जयपुर, दिनांकः 2/4/16

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

**अपर परिवहन आयुक्त (IT)**

E:\SA\Letters & Notesheet\SA_UO_NOTE_2016_ashish.doc